विज्ञापन सं०– 01/2024.

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
विज्ञापन

झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची में अध्यक्ष के 01 (एक) रिक्त पद एवं सदस्य के कुल– 02 (दो) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्य एवं अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **वेतन एवं भत्ते** :– (क) अध्यक्ष को उतने वेतन और भत्ते संदत्त किये जायेगें जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बराबर है,

परन्तु, यह कि जहां अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा हो वहां उसके वेतन और भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन और भत्तों के बराबर होगें।

(ख) सदस्यों को उतने वेतन और भत्ते संदत्त किये जायेगें जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के वेतन और भत्तों के बराबर है।

परन्तु, यह कि यदि उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है कि जो इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी उसकी अधिवर्षता के दिनांक तक झारखण्ड उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर वेतन और भत्तों के संबंध में लागू नियम उस पर लागू होंगे और तत्पश्चात उस पर इस नियमावली के उपबंध लागू होंगे;

परन्तु, यह और कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय, संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो या उसने ऐसा करने का पात्र हो तो उसके द्वारा ऐसी पेंशन लेने का चयन किये जाने की दशा में यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा के संबंध में उसके वेतन को –

(एक) उस पेंशन की रकम तक, और,

(दो) पेंशन के उस भाग की रकम तक जिसके बदले में उसने पद ग्रहण करने से पहले ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन से संराशित मूल्य प्राप्त किया था, घटा दिया जायेगा।

2. **पदावधि** :– यथास्थिति, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष/सदस्य, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा, और झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अगले कार्यकाल के लिए या सत्तर (70) वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3. <u>अर्हता</u> :–

(क) **अध्यक्ष** :– माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश।

(ख) **सदस्य** :– एक सदस्य, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत/कार्यरत न्यायाधीश अथवा कार्यरत/सेवानिवृत जिला न्यायाधीश, जिनके पास 07 (सात) वर्षों का जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।

(ग) **सदस्य** :– एक सदस्य, मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।

4. **अर्हता की अन्य शर्तें :–**

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) वह मानसिक रूप से विक्षिप्त, आर्थिक रूप से दिवालिया या किसी अपराध में संलिप्त नही हो।

5. झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची में अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची–834003 को स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से **दिनांक–1.8.24 संध्या–6.00 बजे तक भेज सकते हैं। लिफाफे के उपर आवेदित पद का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना है।**

6. राज्य/केन्द्र सरकार या अन्य किसी संस्था/संगठन के अन्तर्गत सेवारत व्यक्ति अपना आवेदन समुचित माध्यम से भेजेंगे।

7. **अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन विचारणीय नही होंगे।**

8. विज्ञापन में वर्णित प्रावधानों एवं शर्त्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन करने अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित रहेगा।

(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव।

झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची के अध्यक्ष/सदस्य (न्यायिक/गैर न्यायिक) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आवेदन का विहित प्रपत्र।

1. आवेदित पद का नाम

2. आवेदक का नाम

3. पिता/पति का नाम

कृपया नवीनत्तम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

4. जन्म तिथि

5. वर्तमान पता/पत्राचार का पता

   स्थायी पता

6. दूरभाष सं०

   मोबाईल नं०

7. ई–मेल पता

8. शैक्षणिक अर्हताएँ

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	कुल प्राप्तांक एवं प्रतिशत
मैट्रिक				
इन्टरमीडियट				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

9. व्यापक ज्ञान का क्षेत्र

10. अनुभव

11. ख्याति

12. वर्त्तमान व्यवसाय

13. उपलब्धियां (संक्षेप में)

तिथिः

हस्ताक्षरः

स्थानः

नोट :– उपर अंकित शैक्षणिक अर्हत्ता/जन्म तिथि/व्यापक ज्ञान/अनुभव/उपलब्धियों के निमित्त स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किये जायेगा।